निर्णय ब इजलास राजकुमार कस्वा आर.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय), जयपुर

प्रकरण संख्या 3/2024 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

निर्मल कुमार काला पुत्र स्व. श्री कैलाशचन्द काला, गुलाब कुंज, काला मार्ग, सांभरलेक।

अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय **दिनांक 22.08.2024**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि निर्मल कुमार काला द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 03.06.2024 को राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर के नाम आवेदन मय शुल्क प्रेषित कर निम्नलिखित सूचना चाही गयी–

   (अ) भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जयपुर के पत्र क्रमांकः– अवाप्ति/23/700 दिनांक 19.04.2023 की सूचना एवं श्रीमती तारा देवी काला के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सुशील काला द्वारा पेश आपत्ति पर की गई मार्किंग व कार्यवाही की सूचना दिलावें।

   (ब) दूदू नरायना सांभर लेक से भाटीपुर प्रस्तावित स्टेट हाईवे पत्रावली की सम्पूर्ण नोटशीटों की सूचना दिलावें।

   (स) उक्त प्रस्तावित मार्ग प्रकरण में नगरपालिका सांभर लेक के पत्र क्रमांकः न.पा.सा. /2023–24/1208 दिनांक 26.07.2023 की व उसके संलग्न दस्तावेजों की सूचना दिलावें।

   (द) उक्त प्रस्तावित मार्ग प्रकरण में जिला स्तर, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो व अन्य स्तरों से उपखण्ड अधिकारी एवं भूमि अवाप्ति महोदय सांभर लेक को प्राप्त पत्रों व भेजे गये पत्रों की सूचना दिलावें।

   (य) उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक की सरकारी गाडी की लॉगबुक की नकल दिनांक 01.03.2024 से 03.06.2024 तक की सूचना भी दिलावें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। दिनांक 02.08.2024 को संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी अनुपस्थित है।

3. हमने प्रार्थी के सूचना के अधिकार के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा जिसमें चाही गई बिन्दूवार सूचना दस्तावेजी सूचना चाहने हेतु अंकित किया गया है तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक से दिनांक 21.08.2024 को प्राप्त पत्रांक आर.टी.आई./प्र.अ./2024/836 दिनांक 07.08.2024 जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है, के अनुसार वांछित सूचना कार्यालय के पत्रांक आर.टी.आई./24/824 दिनांक 06.08.2024 द्वारा उपलब्ध करवा दी गयी। उक्त सूचना से स्पष्ट है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर

सूचना उपलब्ध कराये जाने के बाद अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। चूंकि राज्य लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी के प्रथम अपील में आने के पश्चात वांछित सूचना उपलब्ध कराई जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम में निर्दिष्ट नियमों में निर्धारित अवधि में नहीं है। अपील का निस्तारण उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि उक्त प्रकरण में यदि कोई सूचना दिये जाने से शेष है तो तत्काल उपलब्ध करावें तथा भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम में निर्दिष्ट नियमों में निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध कराई जावे।

4. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
5. निर्णय आज दिनांक 22.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय),
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर